वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001

सा०/No. : 5-1(788)/2021-PD

Dated 07.02.2022

प्रेषक / From : संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

महोदया/Madam / महोदय/Sir,

मुझे निम्नलिखित अर्धशासकीय पत्र को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है:

I am directed to forward herewith the following D.O. letter for your information, guidance and compliance:

क्रम सं. Sl. No.	**अर्ध शासकीय पत्र सं/ . Demi Official Letter No.**	**विषय/ Subject**
1.	माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार के दिनांक 08.10.2021 का अर्ध शासकीय पत्र सं० A-42018/47/2021-NI Hon'ble Minister of Social Justice and Empowerment, Government of India D.O letter No. A-42018/47/2021-NI dated 08.10.2021	सरकारी बैठकों/ संगोष्ठियों / कार्यशालाओं में श्रवण बाधितों के लिए आईएसएल दुभाषियों की व्यवस्था के संबंध में निर्देश। Instructions regarding provisioning of sign language interpreters in all Government meetings/seminars/ workshops.

भवदीय/Yours faithfully,

07.02.2022

(उपेन्द्र उपाध्याय/ Upendra Upadhyay)
अनु.अधि.(नीति प्रभाग)/ Section Officer (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

1) आई.टी. प्रभाग प्रमुख वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ/
Head, IT Division with the request to make this circular letter available on the website & Policy Repository.

2) कार्यालय प्रति/Office copy.

7768/2021/Admin-DSIR

डा. वीरेन्द्र कुमार
DR. VIRENDRA KUMAR
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

D.O. No. A-42018/47/2021-NI
कार्यालय: 202, सी विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली–110115
Office : 202, 'C' Wing, Shastri Bhawan,
New Delhi-110115
Tel. : 011-23381001, 23381390, Fax : 011-23381902
E-mail : min-sje@nic.in
दूरभाष: 011-23381001, 23381390, फैक्स: 011-23381902
ई-मेल: min-sje@nic.in

Office of the Minister of State (I/C) for S&T and ES
Dy. No. 363
Dt. 21/10/21

For appropriate action.
Addl. PS to Hon'ble MoS (I/C)
S&T and ES

~~सितंबर~~, 2021
8 अक्तूबर

मानननीय डॉ. जितेन्द्र सिंह जी,

सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD), 2016 को अधिनियमित किया है जो 19.04.2017 से लागू हुआ है। अधिनियम की धारा 42, के अनुसार सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना है कि ऑडियो, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपलब्ध सभी सामग्री सुलभ प्रारूप में हो और ऑडियो विवरण, सांकेतिक भाषा की व्याख्या और क्लोज कैप्शनिंग के साथ दिव्यांगों का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक पहुंच हो।

2. श्रवण बाधितों के लिए सुगम्यता को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने सितंबर, 2015 में इस मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (ISLRTC), नई दिल्ली की स्थापना की। केंद्र का मुख्य उद्देश्य भारतीय सांकेतिक भाषा में प्रयोग, शिक्षण और अनुसंधान के लिए जनशक्ति का विकास करना है।

3. संयुक्त राष्ट्र ने 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में घोषित किया है। आईएसएलआरटीसी, नई दिल्ली हर वर्ष सांकेतिक भाषा दिवस मनाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य आम जनता को भारतीय सांकेतिक भाषा के महत्व और श्रवण बाधितों के लिए सूचना और संचार पहुंच के बारे में जागरूक करना है। सांकेतिक भाषा न केवल शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है; बल्कि यह श्रवण बाधितों के लिए रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

4. श्रवण बाधितों के लाभ के लिए मेरे मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे अधिकांश कार्यक्रमों की भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) में व्याख्या की

सत्यमेव जयते

जाती है। 23 सितंबर, 2021 को आयोजित सांकेतिक भाषा दिवस के कार्यक्रम की भी आईएसएल में व्याख्या की गई और मुझे आईएसएल व्याख्या के माध्यम से कुछ श्रवण बाधित पुरस्कृत छात्रों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला।

5. मेरा मानना है कि यह श्रवण बाधितों के लिए काफी उपयोगी होगा यदि मंत्रालयों / विभागों द्वारा आयोजित सभी सरकारी बैठकों / संगोष्ठियों / कार्यशालाओं में आईएसएल व्याख्या उपलब्ध कराई जाए। यह सुनिश्चित करेगा कि श्रवण बाधितों को सरकार की सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त हो सके। आईएसएलआरटीसी, नई दिल्ली सरकारी बैठकों / संगोष्ठियों / कार्यशालाओं में आईएसएल दुभाषियों को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

6. मैं आपका आभारी रहूंगा, यदि आप कृपया अपने मंत्रालय / विभाग के साथ-साथ अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सभी स्वायत्त निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अधीनस्थ कार्यालयों की सभी सरकारी बैठकों / सेमिनार / कार्यशालाओं में आईएसएल दुभाषियों की व्यवस्था करने के लिए उचित निर्देश जारी करें, ताकि हमारी सरकार के समावेशी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जा सके।

सादर,

भवदीय

(डॉ. वीरेंद्र कुमार)

Office of DG, CSIR & Secretary, DSIR
283-VIP
22-10-21
28/10/21

डॉ. जितेन्द्र सिंह जी,
माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
भारत सरकार,
अनुसंधान भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली।